

बिहार सरकार,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, किशनगंज।

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-17/KNE/वर्ष 2026-27
केवल ई0 टेंडरिंग प्रणालि के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, किशनगंज
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-08.07.2026
3. प्रीबीड मिटींग का समय, तिथि एवं स्थान : 20.07.2026 को 11.30 बजे से 1:00 बजे अपराहन् तक
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, किशनगंज
4. निविदा अपलोड करने की समय एवं तिथि : दिनांक 18.07.2026 से 21.07.2026 को 17.00 बजे
अपराहन् तक
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5. निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की समय एवं तिथि : दिनांक 22.07.2026 को 16.00 बजे
अपराहन्
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि से संबंधित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक- 22.07.2026 को 15.00 बजे अपराहन् तक
(1) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, किशनगंज
(2) अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ
(3) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ।
7. कार्य की विवरणी:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र मूल्य (रुपये में) (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	कार्य समाप्ति की अवधि (दिन में)
1	2	3	4	5	6
1	Construction for 40mm dia X 26 Mtr deep Shallow handpump with platform and drain & 1.0 M Dia x 2.0 M deep soakpit at area in the District of Kishanganj under P.H.Division Kishanganj for the year 2026-27 Total- 40 Tubewell	12.08	25000.00	1250.00	60

8. निविदा की वैधता की तिथि : निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन

for



नियम एवं शर्त:-

09 इस निविदा में वर्ग "घ" से निबंधित संवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

10. बिना कारण बताये निविदा आमंत्रण को किसी भी समय रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार विभाग के सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
11. आमंत्रण में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल/कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें।
12. परिमाण विपत्र की बिक्री **online mode** में होगी।
13. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निविदा प्राप्ति की तिथि तक निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज के पदनाम से भारतीय स्टेटबैंक, किशनगंज में भुगतये हो, के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा।
14. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल पूर्णियां/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूर्णियां प्रक्षेत्र, पूर्णियां के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
15. अग्रधन की राशि वर्षीय बचत प्रमाण पत्र आठवाँ/नौवाँ निर्गम/किसान विकास पत्र/ डाक घर सावधि 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पासबुक अथवा वित्त नियमावली के अनुसार, जो बिहार राज्य के किसी डाकघर से क्रय एवं जमा किया हो तथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त को स्वीकार किया जायेगा।
16. अग्रधन तथा परिमाण विपत्र से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज निविदा के साथ उपर्युक्त कंडिका 4 में वर्णित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
17. संवेदक को हैण्ड पम्प सेट का **Third Party Inspection Report** किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से देने अनिवार्य है।
18. **GI पाईप ISI Mark** का होना अनिवार्य है।
19. यह निविदा दो भागों में होगी प्रथम भाग तकनीकी बीड एवं द्वितीय भाग वित्तीय बीड होगी। आयकर, जी0एस0टी0 एवं अन्य अनुमान्य कटौती नियमानुसार की जायेगी।
20. स्थानीय/अनुभव प्राप्त फर्म/प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. फर्म/प्रतिष्ठान को कार्यादेश निर्गत की तिथि से निर्धारित समय के भीतर कार्य सम्पन्न करना होगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में भुगतये राशि का @ 0.1% प्रतिदिन की दर से अधिकतम @ 10.00% दण्ड वसूला जायेगा।
22. संवेदक को कराये गये कार्य ससमय पूर्ण करना होगा, अन्यथा भुगतान में नियमानुसार कटौती की जायेगी।
23. संवेदक को आमंत्रण पत्र के साथ स्थाई एवं अस्थायी पता देना होगा। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी कागजातों पर उनका हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य होगा।
24. सफल निविदाकार को लोक निर्माण संहिता में निर्धारित समय अवधि के अंदर एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इससे भिन्न स्थिति में उनकी निविदा रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त करने की कार्रवाई, बिना किसी पूछा के प्रारंभ कर दी जायेगी।
25. निविदा में सफल होने एवं कार्य आवंटन होने के पश्चात् समय सीमा के अन्दर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
26. निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
27. ससमय कार्य समाप्ति की बाध्यता संवेदक की होगी।
28. वैसे संवेदक जिनका कोई भी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में अंचल अन्तर्गत कार्यरत हैं, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
29. प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के समय नियमानुकूल अतिरिक्त जमानत की राशि (**Additional Performance Guarantee**) जमा करना होगा।
30. कार्य की प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित अग्रधन की राशि पर ही मान्य होगा। शेष राशि एकरारनामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

31. निधि उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान देय होगा तथा विभागीय निदेश के आलोक में नलकूप निर्माण की संख्या घट या बढ़ सकती है।
32. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33. GST एवं पेन कार्ड की स्वः अभिप्रमाणि की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
34. स्थानीय अभिकृता श्रेणी-4 में निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।



कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज।